वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

"विद्या परिषद्" की दिनांक 20 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की "विद्या परिषद्" की दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 20 मार्च, 2023 को अपरान्ह् 3:00 बजे विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मा0 कुलपति महोदय, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0 की अध्यक्षता में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

01	प्रो0 ओंकार सिह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0त0वि0वि0, देहरादून	अध्यक्ष
02	प्रो0 बी0के0 सिंह, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल, नैनीताल	सदस्य
03	डॉ0 के0के0एस0 मेर, निदेशक, बी0टी0के0आई0टी, द्वाराहाट	सदस्य
04	प्रो0 अलकनन्दा अशोक, डीन, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर	सदस्य
05	प्रो0 वॉय0 सिंह, निदेशक, जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी, गढ़वाल	सदस्य
06	प्रो0 आर0पी0एस0 गंगवार, निदेशक, महिला प्रौ0 संस्थान, देहरादून	सदस्य
07	डॉ0 पी0के0 चौधरी, निदेशक, जेबीआईटी, देहरादून	सदस्य
08	डॉ0 प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजी0, देहरादून	सदस्य
09	डॉ0 अनिरूद्ध गुप्ता, प्रोफेसर, बी0टी0के0आई0टी0, द्वाराहाट	आमंत्रित सदस्य
10	श्री विक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0	आमंत्रित सदस्य
11	डॉ0 वी0के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0	आमंत्रित सदस्य
12	श्री सुनील कुमार, स्टॉफ ऑफिसर, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0	विशेष आमंत्रित सदस्य
13	डॉ0 विशाल रमोला, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0	विशेष आमंत्रित सदस्य
14	डॉ0 यूसरा अहमद, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0	विशेष आमंत्रित सदस्य
15	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यो के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तद्उपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये:-

बिन्दु सं0-14.01

(क) विद्या परिषद् की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

(ख) विद्या परिषद् की 13वीं आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

विनिश्चय:- बैठक में सर्वसम्मिति द्वारा विद्या परिषद् की 12वीं तथा 13वीं आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-14.02

विद्या परिषद की दिनांक 02-09-2022 एवं 30-12-2022 को संपन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय:- परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 02/09/2022 एवं 30/12/2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0–14.03–

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश एवं शैक्षणिक गतिविधियों की सूचना।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध समस्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पूर्णतया ऑनलाईन डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में सत्र 2022–23 से विश्वविद्यालय प्रबन्धन प्रणाली (University Management System) लागू किये जाने तथा UMS के अन्तर्गत जिन ऑनलाईन कार्यों का पूर्णतः सम्पादन किया गया है के सम्बन्ध में अवगत होते हुए सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत जिन कार्यो पर कार्यवाही गतिमान है के सम्बन्ध में मा0 परिषद् द्वारा शीघ कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी। साथ ही सदस्यों द्वारा आगामी परीक्षाओं हेतु बनायें जाने वाले प्रश्नपत्रों में प्रश्नों के CO (Course Outcome) भी दर्शायें जाने की अपेक्षा की गई, जिसे संस्थानों द्वारा अपने स्तर से Outcome assessment के लिए किया जा सकेगा।

बिन्दु सं0–14.04–

नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ में संचालित बी0टैक0 पाठ्यकमों को 2022–23 में एआईसीटीई की मान्यता प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार की अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु छात्रों को प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही की सूचना मा0 सदस्यों के अवगतनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चय–

राज्य सरकार के पत्र संख्या 1216/XLI-A/2022–30/2018 दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के कम में विश्वविद्यालय द्वारा नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ में संचालित बी0टैक0 पाठ्यकमों को शैक्षणिक सत्र 2022–23 में एआईसीटीई की मान्यता न मिलने के कारण उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित मानते हुए वर्तमान शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी निर्णय पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.05–

विद्या परिषद् के प्रस्ताव पर कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08–09–2022 के द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तो के हटाने के कम में राज्य सरकार के निर्देश पर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21–10–2022 के माध्यम से उक्त संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

प्रस्ताव–

बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 08–09–2022 के अनुपालन में प्रेषित प्रस्ताव **पत्र संख्या कैंप मैमों/वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0/2022 दिनांक 08/09/2022** में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी शर्तो के हटाने के राज्य सरकार के निर्देश **पत्र संख्या 1144/XLI-A/2022-65/2022 दिनांक 10/10/2022** के कम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2130/वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2022 दिनांक 21–10–2022 के माध्यम से निम्नानुसार 05 संस्थानों को विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित करने का राज्य सरकार को प्रेषित पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुमोदित।

1. **प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर;**

2. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून;
3. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर;
4. नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़;
5. टी.एच.डी.सी.–आई.एच.ई.टी. नई टिहरी;

बिन्दु सं0–14.06–

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी0टेक0 साइबर सुरक्षा (B.Tech- Cyber Security) एवं बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस (B.Tech- Computer Science) व पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी पाठयकम को संचालित किये जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

1. बैठक में चर्चा हुई। बी0टैक0 साइबर सिक्युरिटी पाठ्यकम संचालन हेतु यू0जी0सी0, नई दिल्ली द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की दिनांक 18 जनवरी, 2023 को Round Table Conference में की गयी चर्चा/ विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र 2023–24 से बी0टेक0 साइबर सुरक्षा (60 क्षमता) , पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी (60 क्षमता) व बी0टैक0 कम्प्यूटर साइंस (60 क्षमता) पाठयकम को संचालित किये जाने हेतु एवं समस्त वांछित कार्यवाही नियमानुसार करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. उपरोक्त पाठ्यकमों में पी0जी0 डिप्लोमा व बी0टैक0 साईबर सुरक्षा की प्रथम वर्ष की पाठ्यचर्या भी अनुमोदित की गई।

बिन्दु सं0–14.07–

विश्वविद्यालय के Vision and mission , Code of conduct को प्रभावी करना।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय द्वारा प्रभावी किये गये Vision and mission, Code of conduct पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.08–

विश्वविद्यालय के IT Regulation को प्रभावी करना।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी किये गये IT Regulation पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.09–

विश्वविद्यालय के Training & Placement की नीति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार किये गये Training & Placement की नीति (Training & Placement Policy) परिषद् द्वारा अनुमोदित की गई।

बिन्दु सं0–14.10–

शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) को विश्वविद्यालय मे कियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय में शोध कार्यो को गतिमान करने हेतु –शोध सह शिक्षण फेलोशिप योजना (Research cum Teaching fellowship Scheme) विश्वविद्यालय में कियान्वित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रस्तुत योजना जिसमें रू0 20000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति सामान्यतः 03 वर्ष व अधिकतम 04 वर्ष तथा रू0 30000/– प्रतिवर्ष की Contingency अधिकतम 03 साल दिये जाने का प्राविधान किया गया है, को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं0–14.11–

पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त करने वाले शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय में जरनल प्रकाशन के संबंध में मा0 सदस्यों के साथ चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः–

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में संचालित इंजीनियरिंग, मैनेजमैंट, फॉमेर्सी, होटल मैनेजमैंट, तथा लॉ की विधाओं में पृथक–पृथक जरनल्स प्रकाशित किये जाने तथा जरनल्स को निम्नानुसार नामांकित करते हए विधिसम्वत् कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रथमचरण के ऑनलाइल जरनल प्रकाशन हेतु पंजीकरण कराने तथा इन्हें वर्ष में दो बार प्रकाशन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदितः–

1–ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ इंजीनियरिंग

2–ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ मैनेजमैंट

3–ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ फॉर्मेसी एंड एलाईड साइंस

4–ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ होटल मैनेजमैंट

5–ट्रांसनेशनल जरनल ऑफ लॉ

बिन्दु सं0–14.12–

विश्वविद्यालय में स्नातक तथा परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन में आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

विनिश्चयः–

परिषद् द्वारा विचारोपरान्त सम्बद्ध संस्थानों में अध्ययनरत स्नातक/परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन कार्यो हेतु रू0 5000/– प्रति प्रोजेक्ट/डिजर्टेशन की अधिकतम वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्व निर्धारित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के उपयुक्त पाये जाने पर दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं अपेक्षा की गई कि आगामी वित्त समिति से उक्त के सम्बन्ध में वित्तीय प्राविधान कराये जाये।

<u>बिन्दु संख्याः–14.13</u>

विश्वविद्यालय में संचालित पी0एच0डी0 कोर्स हेतु रिसर्च मैथोडॉलोजी की पठन–पाठन एवं परीक्षा एन0पी0टी0ई0एल0/स्वयंम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रमाण–पत्र को विश्वविद्यालय में मान्यता दिये जाने संबंधी चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः–

विद्या परिषद् द्वारा पी0एच0डी0 कोर्स में रिसर्च मैथोडॉलोजी के पठन–पाठन एवं परीक्षा एन0पी0टी0ई0एल0/स्वयंम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम 08 Week की अवधि अथवा अधिक से प्राप्त प्रमाण–पत्र को विश्वविद्यालय में मान्यता दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि Entrepreneurship एवं IPR विषय पर विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 01 कार्यशाला आयोजित करायी जायें।

बिन्दु संख्याः–14.14

आई0एम0ए0, देहरादून तथा विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित शैक्षणिक एम0ओ0यू0 के माध्यम से पी0जी0 डिप्लोमा के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन

विनिश्चयः–

आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो आई0एम0ए0, देहरादून में द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, हेतु PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यकम संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित एम0ओ0यू0 अनुमोदित।

बिन्दु संख्याः–14.15

विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय–

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के साथ निष्पादित किये गये ए0ओ0यू0 तथा प्रस्तावित एम0ओ0यू0 को आवश्यकतानुसार निष्पादित करने के प्रस्ताव **(सलंग्नकः–1)** पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–14.16

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रकिया पर विचार–विमर्श एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः–

दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की प्रथम प्रवेश समिति की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2023–24 की प्रवेश प्रकिया हेतु लिये गये निर्णयों **(सलंग्नकः–2)** पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–14.17

विश्वविद्यालय में पूर्ण हुई पी0एच0डी0 की सूचना विद्या परिषद् के समक्ष सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–विद्या परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक पूर्ण हुई पी0एच0डी0 पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदित पी0एच0डी0 की सूची **सलंग्नक–3** पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्याः—14.18

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यकमों में सत्र 2021—22 में उत्तीर्ण छात्रों का विवरण विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः—विभिन्न पाठ्यकमों में निम्नानुसार यथा— बी0टैक0, बी0एच0एम0सी0टी0, बी0फार्म0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, एम0टैक, एम0बी0ए0(इंटिग्रेटेड) में शैक्षिक सत्र 2021—22 में उत्तीर्ण 3799 (तीन हजार सात सौ नियानब्बै) छात्रों तथा एल0एल0बी0, बी0ए0एल0एल0बी0, बी0बी0ए0एल0एल0बी0 एल0एल0एम0 पाठ्यकमों में शैक्षिक सत्र 2021—22 में उत्तीर्ण 575 (पाँच सौ पिचहत्तर) छात्रों को आगामी दीक्षांत समारोह में उपाधियां वितरित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित। **सलंग्नक—4**

Sl No.	Programme	No. of Pass Students (Session 2021-22)
1	B.Tech	2342
2	BHMCT	146
3	B.Pharm	465
4	MBA	772
5	MCA	28
6	M.Tech	36
7	MBA (Integrated)	21
Total		**3799**
Sl No.	**Programme**	**No. of Pass Students (Session 2021-22)**
1	LLB	225
2	BALLB	49
3	BBALLB	14
4	LLM	287
Total		**575**

बिन्दु संख्याः—14.19

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यकमों यथा—बी0टैक0 (CSE, ME, AI&ML, Civil, Biotechnology, Chemical, Plastic & Polymer, Manufacturing Engg., EE, EEE, Cyber Security, ECE, E & T), **बी0फार्म0, बी0ए0एल0एल0बी0, बी0बी0ए0एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, बी0एच0एम0सी0टी0, एम0टैक0, एम0बी0ए0** (MAB(PT), MBA(Regular), MBA(Integrated), **एम0सी0ए0, एम0फार्म0, फार्म0डी0, पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी* के प्रथम वर्ष से आगें तैयार किये गये** Syllabus **विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

विनिश्चयः—

1. विश्वविद्यालय की विभिन्न बी0ओ0एस0 के स्तर से तैयार प्रथम वर्ष से आगे के सभी Syllabus अनुमोदित।
2. बी0टैक0 मेजर के साथ माइनर (स्पेशलाईजेशन) **सलंग्नक—5** के अनुसार एवं उपरोक्तानुसार इंगित पाठ्यकमों के तैयार किये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के सिलैबस अनुमोदित।
3. पी0जी0 डिप्लोमा इन साइबर सिक्युरिटी इंडस्ट्री की नवीनतम आवश्यकतानुसार पाठ्यकम व्यवस्था के साथ अनुमोदित।
4. शैक्षिक सत्र 2021—22 में संचालित माइनर की सूची में वेबसाईट पर प्रदर्शित बी0टैक0 इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग के स्थान पर बी0टैक0 इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़े जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्याः–14.20

विश्वविद्यालय में यू0जी0सी0 द्वारा दिये गये दिशा/निर्देशो अनुसार शैक्षणिक कार्मिकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

बैठक में चर्चा उपरान्त यू0जी0सी0, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयों में **Adjunct Faculty, Distinguished Visiting Faculty, Professor of Practice, Guest Faculty** की व्यवस्था हेतु निर्गत दिशा/निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं0–14.21

विश्वविद्यालय में पूर्णतया स्ववित्त पोषित आधार पर बी0फार्मेसी (60 प्रवेश क्षमता) नवीन पाठयकम को संचालित किये जाने एवं एम0फार्म0 में क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय–

1. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मानकानुसार विश्वविद्यालय में नवीन बी0फार्मेसी (60 सीट) पाठ्यक्रम संचालित किये जाने तथा विश्वविद्यालय के एम0फार्म0 पाठ्यक्रम–फार्माकोलॉजी में 03 से 15 सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु चर्चा उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस हेतु समस्त वांछित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई ताकि इन पाठ्यक्रमों का सुचारू संचालन हो सके।
2. नवीन बी0फार्मेसी (60 सीट) पाठ्यक्रम की प्रस्तुत पाठ्यचर्या अनुमोदित।

बिन्दु सं0–14.22

विश्वविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय में आवश्यकता के दृष्टिगत **Academic Block, Hostel (100 Bed), Guest House, Central Library, Indoor Stadium, Officers/Staff Residential quarter** सम्बन्धी निर्माण कार्य कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.23

विश्वविद्यालय में एम0बी0ए0 पाठ्यकम में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

1. ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों तथा वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स व्यवस्था के अन्तर्गत उपनल अथवा अन्य आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से यथा प्रभावी शासनादेशों के अन्तर्गत शिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु अनुमोदित।
2. साथ ही विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यकमों में शिक्षकों की आवश्यकता अध्यापन भार के अनुसार अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से पूर्ण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.24

फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, विभाग में शिक्षकों को आउटसोर्स के आधार पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः– फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि हेतु जारी दिशा/निर्देशों अनुसार शिक्षकों को आउटेसोर्स के माध्यम से रखे जाने हेतु अनुमोदित।

बिन्दु सं0–14.25

छात्र/छात्राओं को उपाधियां संस्कृत भाषा में प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– परिषद् द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगामी दीक्षांत समारोह से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को उपाधियां हिन्दी, अग्रेजी के साथ संस्कृत भाषा में भी मुद्रित कराते हुए दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–14.26 अन्य बिन्दु मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु सं0–14.26 (1) :– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी, गढ़वाल की शैक्षिक सत्र 2021–22 की विभिन्न पाठ्यकमों की प्रथम वर्ष की परीक्षाओं के परीक्षाफल विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

जी0बी0पी0आई0ई0टी0, पौड़ी संस्थान में शैक्षिक सत्र 2021–22 में प्रवेशित विभिन्न स्नातक व परास्नातक पाठ्यकमों में अध्ययनरत छात्रों के परीक्षाफल ग्रेडिंग अधारित मूल्याकन प्रणाली के आधार पर Absolute Marks आधारित ग्रेडिंग के आधार पर तैयार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि संस्थान जी0बी0पी0आई0ई0टी0, घुड़दौडी, पौड़ी, गढ़वाल में संस्थान की विद्या परिषद् वर्तमान में प्रभावी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मानकानुसार गठित की जायें।

बिन्दु सं0–14.26 (2) :– विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम0टैक0 पाठ्यकम की कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग शाखा में बैच 2019–21 के अध्ययनरत छात्र हेमंत भास्कर एवं पॉवर सिस्टम एण्ड इंजीनियरिंग शाखा में बैच 2019–21 के अध्ययनरत छात्र निशांत मनराल को तीन वर्ष माह अगस्त, 2022 में पूर्ण होने के कारण चतुर्थ सेमेस्टर में अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय में एम0टैक0 पाठ्यकम के (बैच 2019–21) छात्रों 1. हेमंत भास्कर 2. निशांत मनराल के अनुरोध पर एम0टैक0 पाठ्यकम की समय सीमा को 03 वर्ष से 04 वर्ष बढ़ायें जाने के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय आर्डिनेन्स में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किय गये।

अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति

S.NO	NAME OF THE ORGNIZATION /INDIVIDUAL	PURPOSE OF MoU	DATE OF SIGNING
1.	Indian Military Academy, Dehradun	PG Diploma in Military Studies and Defence Management for all the graduate Gentlemen Cadets undergoing II and III term training at IMA.	27/01/2023
2.	CMAI Association of India & TEMA i.e Telecom Equipment Manufacturer's Association	CMAI wish to cooperate UTU in the matter of development of higher education in India, assist xuin providing domestic and international guest speakers in the field of management, telecom, ICT, engineering, cyber security, spectrum, ethical hacking, security matters, defense matters, political matters, excellence in life, Yoga, Meditation, Mind Magic, Good life, excellence in life, stress management, communication skills, development of mind capabilities, how to excel in interview and placements etc. Providing Certificate of Institutional association with Industry trade bodies. Authorization to use CMAI, TEMA logo in all events of college/University for all categories of members.	27/01/2023
3	KVS Premier Foundation (A Registered Private Charitable Trust)	For instituting two scholarship of Rs. 2500/- only (Rupees Two Thousand Five Hundred Only) per month to each of the two recipients of "**KVS Premier Foundation Scholarship**" for disbursement of scholarship to the meritorious and economically weaker students of B.Tech. in Civil Engineering.	27/01/2023
4	KVS Premier Foundation (A Registered Private Charitable Trust)	Instituting a gold medal for over all topper of B.Tech in the university in every session through donated one time fund of Rs. 500000/-.	27/01/2023
4	SPNG Group (KASHI VISHWANATH TEXTILE MILL (P) LIMITED) Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand	For institution of two (02) sponsored **Scholarships** in the name of -- for meritorious and SC/ST for hilly districts students/dependent of ex servicemen of B.Tech/B.Pharma/MBA and etc enrolled in UTU	To be signed
6	SPNG Group (KASHI VISHWANATH TEXTILE MILL (P) LIMITED) Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand	To Institute sponsored **Gold Medal** in the name of "**SPNG Group**" for overall topper of **B.Tech/B.Pharma/MBA and etc** in all branches put together, enrolled in **UTU**	To be signed

5	CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING (CDAC), Hyderabad	In the areas for Research & Development, Cyber Security Services, Education and Training, which the parties desire to work together and collaborate and complement each other's strengths.	To be signed
6	TECHNOLOGY INCUBATION AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SOCIETY (TIEDS)	Cooperation in the Entrepreneurship, Startups and Incubation area in order to promote entrepreneurial, research, educational and academic exchanges, and collaboration.	To be signed
7	ACETIANS TECHNOLOGIES PVT LTD.	To establish and develop a strategic collaborative relationship to engage in mutually beneficial collaborative activities that drives **Microsoft Center of Excellence Certification Programs.**	To be signed
8	KASPERSKY LAB SINGAPORE PTE LTD	This MOU is for discussion purposes only, and neither Party will have any rights or be subject to any obligations on the basis of this MOU.	To be signed
9	Rajesh Kumar Srivastava S/O Late Sh. N.P. Srivastava	**Scholarships** in the name of "**N.P. Srivastava Memorial Scholarship**" for meritorious and economically weaker **BOY / GIRL** students of B.Tech. in Any Branch of Engineering enrolled in UTU	To be signed

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

प्रवेश समिति की दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की दिनांक 16 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 16 मार्च, 2023 को अपरान्ह 3:00 बजे विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मा0 कुलपति महोदय, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न मा0 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

01	प्रो0 ओंकार सिह, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0त0विवि0, देहरादून	अध्यक्ष
02	उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
03	निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
04	प्रो0 वी0के0 सिंह, निदेशक, बी0आई0ए0एस0, भीमताल	सदस्य
05	डॉ0 अलकनन्दा अशोक, डीन कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर (ऑनलाईन उपस्थित)	सदस्य
06	डॉ0 यशपाल नेगी, निदेशक, एस0एच0आई0एम0टी0, नई टिहरी	सदस्य
07	डॉ0 मनोज पांडा, समन्वयक, पी0एच0डी0, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून।	सदस्य
08	परीक्षा नियत्रंक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
09	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
10	प्रो0 एस0के0 गोयल, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर	आमंत्रित सदस्य
11	श्री सुनील कुमार, स्टॉफ अधिकारी, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रो0विवि0, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
12	डॉ0 विशाल रमोला, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
13	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तदउपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये:—

<u>प्रस्तावनाः—</u> सत्र 2023—24 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों एवं कालेज ऑफ टैक्नोलॉजी पन्तनगर में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जाने प्रस्तावित हैं:—

SN	Course & Year	Duration	Minimum Qualification Criteria For Admission (Approved from AICTE/PCI/BCI as applicable)
1	BTECH - FIRST YEAR	4 Year	Passed 10+2 examination with Physics/ Mathematics / Chemistry/ Computer Science/ Electronics/ Information Technology/ Biology/ Informatics Practices/ Biotechnology/ Technical Vocational subject/ Agriculture/ Engineering Graphics/ Business Studies/ Entrepreneurship as per table1.3(a) Agriculture stream (for Agriculture Engineering) Obtained at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together. OR Passed min. 3 years Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) subject to vacancies in the First Year, in case the vacancies in lateral entry are exhausted. (The Universities will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing, etc., for the students coming from diverse backgrounds to prepare Level playing field and desired learning outcomes of the programme) * For further clarification applicant may refer AICTE process Handbook 2022-23 page no. 125 on AICTE portal.

S.N	Course & Year	Duration	Minimum Qualification Criteria For Admission (Approved from AICTE/PCI/BCI as applicable)
2	B.PHARM-FIRST YEAR	4 Year	Passed 10+2 examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the Mathematics / Biotechnology / Biology. Obtained at least 45% marks (40% in case of candidate belonging to reserved category) in the above subjects taken together.
3	BHMCT- FIRST YEAR	4 Year	Passed 10+2 examination Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.
4	BALLB-FIRST YEAR	5 Year	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 40% in case of candidates belonging to reserved category
5	BBALLB-FIRST YEAR	5 Year	10+2 or an equivalent examination with 45% marks or its equivalent grade and 40% in case of Candidates belonging to reserved category
6	LLB-FIRST YEAR	3 Year	Graduation in the 10+2+3 pattern from a recognized university with 45% marks and 40% in case of candidates belonging to reserved category
7	MTECH-FIRST YEAR	2 Year	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
8	MPHARM-FIRST YEAR	2 Year	Bachelor in Pharmacy. Obtained at least 55% marks (50% in case of candidate belonging to reserved category) at the qualifying Examination.
9	MBA-FIRST YEAR	2 Year	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
10	MCA-FIRST YEAR	2 Year	Passed B.C.A/ B.Sc. (Computer Science)/ B.Sc. (IT) / B.E. (CSE)/ B.Tech.(CSE) / B.E. (IT) / B.Tech (IT) or equivalent Degree. OR Passed any graduation degree (e.g.: B.E. / B.Tech. / B.Sc / B.Com. / B.A./ B. Voc./ etc.,) preferably with Mathematics at 10+2 level or at Graduation level Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination. (for students having no Mathematics background compulsory bridge course will be framed by the respective University/ Institution and additional bridge courses related to computer subjects as per the norms of the concerned University).
11	MHM-FIRST YEAR	2 Year	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
12	LLM-FIRST YEAR	1 Year	An LL.B Degree (or B.A.LL.B / B.B.A.LL.B / B.COM-LLB, B.TECH-LL.B or any other integrated law graduate degree) or an equivalent examination with a minimum of Fifty percent (50%) of marks or its equivalent grade and 45% in case of candidates belonging to reserved category
13	PHARM.D-FIRST YEAR	5 Year	Passed in 10+2 examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the following subjects: Mathematics or Biology. OR Passed in D. Pharm course from an institution approved by the Pharmacy council of India under section 12 of The Pharmacy Act.
14	BTECH-LATERAL ENTRY	3 Year	Passed Minimum THREE years / TWO years (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) in ANY branch of Engineering and Technology. OR Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) and passed 10+2 examination with Mathematics as a subject.
15	BPHARM-LATERAL ENTRY	3 Year	Passed Diploma examination in a Program from an PCI approved Institution, with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in appropriate Program.

विगत शैक्षणिक सत्रों में विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के आंकलन करने पर यह स्थापित होता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर बी0टेक0 प्रथम वर्ष से इतर शेष पाठ्यक्रमों (द्वितीय वर्ष प्रवेश सहित) में विश्वविद्यालय द्वारा करायी जाने वाली U.K.S.E.E परीक्षाओं में न तो समुचित संख्या में आवेदन प्राप्त होते है और न ही इसके माध्यम से कांउसिलिंग द्वारा प्रवेश हो पाते है। साथ ही बी0टेक0 प्रथम वर्ष के प्रवेश के आंकडे भी यह दर्शाते हैं कि JEE मेरिट के आधार पर अधिकांश प्रवेश जी0बी0पी0आई0ई0टी0 पौड़ी, बी0टी0के0आई0टी0 द्वाराहाट व कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी जी0बी0पी0यू0ए0टी0 पन्तनगर, में होते हैं, परन्तु इनमें भी समस्त सीट JEE के आधार पर नही भर पाती हैं

लिहाजा निजी संस्थाओं की भांति इनमें भी स्पॉट कांउसिलिंग से प्रवेश किये जाते है। इस प्रकार अधिकांश प्रवेश अर्हकारी अंको व JEE अंको के आधार पर स्पॉट कांउसिलिंग से होते है।

इस प्रकार बी0टेक0 सहित समस्त पाठ्यक्रमों की अधिकांश सीट रिक्त रह जाती है। संस्थानों के निदेशक/अध्यक्ष के साथ सम्पन्न दिनांक 17.02.2023 की बैठक में यह सुझाव सर्वसम्मति से दिया गया कि प्रवेश प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रवेश तिथियों को जल्दी करने के साथ एकल खिड़की व्यवस्था में विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने से सभी पाठ्यकमों में प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। विगत में भी यह मांग की जाती रही है कि शैक्षणिक सत्र को प्रारम्भ करने की तिथि भी देश के अन्य सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र की संस्थाओं/विश्वविद्यालय की भांति रखी जाये क्योंकि इसे प्रारम्भ होने मे विलम्ब से छात्र अन्यत्र प्रवेश ले लेते है।

अतः कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी पन्तनगर, तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बी0टेक0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रथमतः JEE मैरिट के आधार पर JEE मैरिट आधारित ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा तथा इसके दो चरणों के सम्पन्न होने पर समस्त रिक्त सीटों पर प्रवेश विश्वविद्यालय स्तर से अर्हकारी परीक्षा के अंक आधारित काउंसिलिंग कराकर पूर्ण किये जाने पर विचार किया गया।

यह भी चर्चा हुई कि विश्वविद्यालय में शेष पाठ्यक्रमों यथा B.Tech Lateral entry, B.Pharm Lateral entry, B.H.M.C.T, M.B.A, M.C.A, M.Tech, M.H.M, Pharm–D, B.A.L.L.B, B.B.A, L.L.B, L.L.M. में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कराये जा रहे University Management System के माध्यम से समस्त इच्छुक छात्रों को प्रोविजनल पंजीकरण की सुविधा पाठ्यक्रमवार, विषयवार, संस्थावार, कराये जाने का विकल्प जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाये। तद्पोरान्त विश्वविद्यालय स्तर से प्रवेश की औपचारिक सूचना जारी किये जाने के बाद इच्छुक छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ अपने पूर्व के प्रोविजनल पंजीकरण अथवा नये पंजीकरण को पूर्ण करने की सुविधा च्वाइस भरने के विकल्पों के साथ उपलब्ध करायी जाये। प्रथम चरण की प्रोविजनल पंजीकरण प्रकिया में University Management System पर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने हुयी संस्थाओं को भी उनकी संस्था को चुनने वाले अभ्यर्थियों का डाटा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उनके स्तर से भी छात्रों को अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम विशेष की जानकारी दी जा सके। अन्तिम रूप से पंजीकरण कराये जाने के बाद विश्वविद्यालय घोषित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया नियमानुसार वांछित चरणों में ऑनलाइन पूर्ण करेगा तथा सीटें रिक्त रहने की दशा में समस्त संस्थानों हेतु स्पॉट काउंसिलिंग की कार्यवाही भी University Management System के माध्यम से एकल खिड़की व्यवस्था के अर्न्तगत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण करायी जायेगी ताकि छात्रों व संस्थानों को समुचित संख्या में सुविधाजनक तरीके से प्रवेश मिल सके, एवं शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ करने में विलम्ब न हो।

<u>एजेण्डा बिन्दु–01</u>

<u>प्रवेश प्रक्रिया हेतु नोडल अधिकारी एवं उप नोडल अधिकारी की तैनाती किया जाना।</u>

प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत पंजीकरण, काउंसिलिंग आदि कार्यों के सम्पादन हेतु पूर्व वर्षों की भॉति एक नोडल अधिकारी एवं उप नोडल अधिकारी नामित किये जाने हेतु चर्चा। यह भी प्रस्तावित है कि नामित अधिकारी प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सम्पादित किये जाने हेतु कुल सचिव एवं कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर अन्य कार्मिकों की तैनाती किये जाने के लिये अधिकृत होगा।

विनिश्चयः– शैक्षिक सत्र 2023–24 में प्रवेश सम्बन्धी पंजीकरण काउंसलिंग आदि कार्यो के सम्पादन हेतु नोडल अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत करते हुए श्री सुनील कुमार, स्टॉफ अधिकारी, कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0, देहरादून को उप नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया। साथ ही समिति द्वारा प्रवेश प्रकिया के सम्पूर्ण संचालन हेतु प्रस्तावानुसार कुलसचिव एवं कुलपति, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0विवि0 से अनुमोदन प्राप्त कर अन्य कार्मिकों की तैनाती किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुमोदित।

एजेण्डा बिन्दु–02

दिनांक 17 फरवरी 2023 को समस्त संस्थानों के चेयरमैन/निदेशक की उपस्थिति एवं मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में शैक्षिक सत्र 2023–24 के सुचारू रूप से संचालन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों पर चर्चा।

विनिश्चयः– दिनांक 17 फरवरी 2023 को बैठक में लिये गये निर्णय निम्नानुसार अनुमोदित किये गये :–

➢ विश्वविद्यालय के यू0एम0एस0 पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु निशुल्क ऑनलाइन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शीघ्र की जायेगी।

➢ प्रवेश हेतु बी0टैक0 प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी पाठ्यक्रमों में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की मेरिट के आधार पर ऑनलाइन काउंसिलिंग विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम निर्धारित कर सम्पन्न की जायेगी।

➢ बी0टैक0 प्रथम वर्ष में JEE Mains Rank के अभ्यर्थियों की दो चरणों मे ऑनलाइन काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा, उसके पश्चात रिक्तियों को विश्वविद्यालय के यू0एम0एस0 पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जायेगा।

➢ विभिन्न पाठ्यक्रमों के सभी माध्यमों द्वारा प्रिंट मीडिया, रेडियो, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन हेतु सामग्री तैयार करने हेतु पाठ्यक्रमवार गठित समितियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

पाठ्यक्रमवार प्रचार–प्रसार समिति

- **बी0टैक0, एम0टैक0, एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमः–**

1. डॉ0 बी0के0 सिंह, निदेशक, बिरला इंस्टीट्यूट, नैनीताल – अध्यक्ष
2. निदेशक, जी0आर0डी0 इंस्टीट्यूट, देहरादून – सदस्य
3. निदेशक, जे0बी0आई0टी0, देहरादून – सदस्य
4. निदेशक, तुलाज इंस्टीट्यूट, देहरादून – सदस्य
5. निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून – सदस्य
6. निदेशक, जी0बी0पी0ई0सी0, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल – सदस्य

- **एम0बी0ए0 पाठ्यक्रमः–**

1. निदेशक, आम्रपाली इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी – अध्यक्ष
2. निदेशक, जी0बी0आई0टी0 इंस्टीट्यूट, देहरादून – सदस्य
3. निदेशक, श्री राम इंस्टीट्यूट, काशीपुर – सदस्य
4. निदेशक, डी0बी0एस0 इंस्टीट्यूट, देहरादून – सदस्य

- **बी0फार्मा0/एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमः–**

1. डॉ0 संजय सिंह, निदेशक, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, देहरादून – अध्यक्ष
2. निदेशक, कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, देहरादून – सदस्य
3. निदेशक, जे0बी0आई0टी0 कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी, देहरादून – सदस्य
4. निदेशक, आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मेसी एण्ड साइंसेज, हल्द्वानी – सदस्य

- **विधि पाठ्यक्रमः–**

1. डॉ0 शराफत अली, सिद्धार्थ लॉ कॉलेज, देहरादून – अध्यक्ष
2. निदेशक, चमन लाल लॉ कालेज, रूड़की – सदस्य
3. निदेशक, जागरण लॉ कॉलेज, देहरादून – सदस्य
4. निदेशक, जगन्नाथ विश्व लॉ कॉलेज, देहरादून – सदस्य

- **होटल मैनेजमेण्ट पाठ्यक्रमः–**

1. डॉ0 वाई0एस0 नेगी, एस0एच0आई0एम0टी0, नई टिहरी – अध्यक्ष
2. प्रधानाचार्य, राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट, पटेल नगर, देहरादून– सदस्य
3. प्रधानाचार्य, जगत सिंह बिष्ट राजकीय इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट, अल्मोड़ा– सदस्य
4. निदेशक, आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेण्ट, हल्द्वानी – सदस्य
5. श्री के0डी0 सिंह, के0आई0एच0एम0सी0टी0, देहरादून – सदस्य

➢ विश्वविद्यालय के यू0एम0एस0 पोर्टल पर शैक्षिक सत्र 2023–24 मे प्रवेश हेतु वर्तमान में ऑनलाईन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की निशुल्क केन्द्रीकृत व्यवस्था किये जाने एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का परीक्षा परिणाम माह मई/जून में आ जाने के उपरान्त सशुल्क रजिस्ट्रेशन/काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाये एवं इसकी मॉनिटरिंग हेतु सेंट्रलाईज प्रवेश यूनिट की स्थापना निम्नवत की जाती है:–

सेंट्रलाईज प्रवेश यूनिट

1. डॉ0 विशाल रमोला, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून।
2. श्री सुनील कुमार, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0वि0, देहरादून।
3. डॉ0 प्रहलाद सिंह, शिवालिक कॉलेज, देहरादून।
4. डॉ0 निशान्त सक्सेना, तुलाज इंस्टीट्यूट, देहरादून।
5. डॉ0 संदीप चौधरी, जे0बी0आई0टी0 इंस्टीट्यूट, देहरादून।
6. डॉ0 पंकज चौधरी, जी0आर0डी0 इंस्टीट्यूट, देहरादून।
7. डॉ0 मनोज पाण्डे, आम्रपाली इंस्टीट्यूट, देहरादून।
8. डॉ0 शराफत अली, सिद्धार्थ लॉ कालेज, देहरादून।
9. डॉ0 अरविन्द नेगी, जी0आर0डी0 (पी0जी0) इंस्टीट्यूट, देहरादून।
10. श्री के0डी0 सिंह, कुकेरजा इंस्टीट्यूट, देहरादून।

➢ बी0टैक0 के प्रवेश JEE Mains का परिणाम घोषित होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर दोनो चरणों की ऑनलाइन काउंसिलिंग सम्पादित करा ली जाये।

➢ बी0टेक प्रथम वर्ष हेतु जे0ई0ई0रैंक के अभ्यर्थियों तथा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के माध्यम से एवं अन्य पाठ्यक्रमों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के माध्यम से ऑनलाईन काउंसिलिंग के 2 चरणों में प्रवेश उपरान्त स्पॉट काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश के समुचित प्रयास करने के बाद भी सीट रिक्त रहने पर ST को SC से व SC की रिक्त सीटों को OBC से एवं OBC की रिक्त सीटों को Open से भरा जाये इस प्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर 02 ऑनलाईन 01 ऑन–स्पॉट कम से कम 03 चरणों में काउंसलिंग का आयोजन किया जायेगा, इसके पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित श्रेणी में उपलब्ध नही होता है तो उस श्रेणी को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किये जाने का निर्णय बैठक में लिया गया। सम्बन्धित व्यवस्था हेतु शासन के सूचनार्थ/स्वीकृति के लिए प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा शासन को भेजा जायेगा।

➢ विगत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी जे0ई0ई0 आधारित ऑनलाईन काउंसिलिंग के 2 चरणों में प्रवेश के उपरान्त ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश के समुचित प्रयास करने के बाद भी क्षैतिज आरक्षित सीटों के रिक्त रहने पर ऐसी सीटों को सम्बन्धित उर्ध्वाधर श्रेणी में कन्वर्ट करके भरे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

➢ समिति द्वारा प्रोविजनल पंजीकरण हेतु तैयार किये गये आवेदन पर भी संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–03

सत्र 2023–24 में बी0टेक0 प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रमों हेतु यू0के0एस0ई0ई प्रवेश परीक्षा न करने एवं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जाने पर चर्चा।

विनिश्चयः– शैक्षिक सत्र 2023–24 में यू0के0एस0ई0ई0 प्रवेश परीक्षा का आयोजन न किये जाने एवं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अंकों की मेरिट तैयार कर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–04

प्रवेश प्रकिया हेतु कार्यकम निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा ।

विनिश्चयः– सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रक्रिया के प्रस्तावित कार्यक्रम को निम्नानुसार Tentative अनुमोदित किया गया :–

Course	Commencement of Provisional Registration (Without Fee)	Commencement of Final Registration & Choice Filling	Seat Allotment Date	Tentative Date of Admission
B.Pharm, BHMCT, BALLB, BBALLB - Ist Year	01-04-2023	First Fortnight of June 2023 OR as per the Date of Announcement of Result of Class 12	Within 3 days of last date of choice filling	Within 7 days of Seat Allotment Date
M.TECH, MBA, MCA, MHM, PHARM.D, LLB, LLM – Ist Year	01-04-2023	First Fortnight of May 2023 As per the Based on previous semester marks refer Agenda Point 07	Within 3 days of last date of choice filling	Within 7 days of Seat Allotment Date
B.TECH & B.PHARM II^ND Year (Lateral Entry)	01-04-2023	First Fortnight of May 2023 As per the Based on previous semester marks refer Agenda Point 07	Within 3 days of last date of choice filling	Within 7 days of Seat Allotment Date
B. TECH Ist Year	01-04-2023	First Fortnight of June 2023 OR as per the Date of Announcement of Result of JEE-Mains & Class 12)	Within 3 days of last date of choice filling	Within 7 days of Seat Allotment Date

प्रथम चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों हेतु द्वितीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग की तिथियों का निर्धारण करते हुए तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त आवश्यकतानुसार ऑनलाईन काउंसिलिंग का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए सभी प्रवेश

विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण/काउंसिलिंग के माध्यम से ही किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया किसी भी परिस्थिति में संस्था में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया को अवैध घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

साथ ही प्रवेश प्रकिया की तिथियों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर प्रवेश कार्यवाही पूर्ण करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–05

सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से कराये जाने हेतु पंजीकरण/काउंसिलिंग का प्रचार–प्रसार किया जानाः–

(a) पंजीकरण एवं काउंसलिंग हेतु विज्ञापन का प्रकाशन न्यूनतम 01 राष्ट्रीयकृत एवं 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों अथवा अधिक में प्रकाशित किये जाने के साथ सोशल मीडिया व पत्रिकाओं द्वारा तथा विश्वविद्यालय द्वारा अन्य समस्त विज्ञापन के माध्यमों से प्रचार प्रस्तावित

(b) सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन के माध्यम से विश्वविद्यालय के **UMS (University Management System** पोर्टल पर किया जाना प्रस्तावित।

(c) सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ए0आई0सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं बी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के अन्तर्गत ही किया जाना प्रस्तावित।

(d) ऑनलाईन पंजीकरण/काउंसलिंग शुल्क पूर्व वर्ष की भाँति रू0 2000/– निर्धारित किया जाना प्रस्तावित।

विनिश्चयः– **ऐजेण्डा बिन्दु 5(a)** में प्रस्तावनुसार प्रवेश सम्बन्धी सूचना 01 राष्ट्रीयकृत एवं 02 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के साथ विश्वविद्यालय की वेबसाईट, इल्केट्रानिक रेडियो, टी0वी0, मीडिया, सोशल मीडिया व पत्रिका (आवश्यकता अनुसार) पर प्रचार हेतु अनुमोदित किया गया एवं प्रस्ताव 5(b) ,5(c) एवं 5(d) अनुमोदित किये गये।

एजेण्डा बिन्दु–06

सत्र 2023–24 में कालेज ऑफ टेक्नोलोजी पन्तनगर की एम0टेक0 पाठ्यक्रम को काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने पर चर्चा।

विनिश्चयः– डीन कालेज ऑफ टेक्नोलाजी पन्तनगर के पत्र संख्या सीटीई/10 दिनांक 04 मार्च 2023 के द्वारा सत्र 2023–24 में आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में एम0टेक0 पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित करने के अनुरोध को उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 415/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005/ दिनांक 27 जनवरी 2005 के माध्यम से जारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में **विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य** बिन्दु संख्या 6–ब में प्रदत्त निम्नवत व्यवस्था पर चर्चा हुईः–

"किसी महाविद्यालय का सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करना या पहले से ही सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना और ऐसे महाविद्यालय का मार्ग दर्शन करना और उनके कार्य पर नियंत्रण रखना परन्तु प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पंतनगर के जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से सम्बद्ध एवं नियंत्रणाधीन होने क बावजूद उक्त महाविद्यालय में प्रवेश एवं शैक्षणिक कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वहन किये जायेंगे।"

उपरोक्त क्रम में सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय के एम0टैक0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के साथ–साथ कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी पन्तनगर की एम0टेक0 पाठ्यक्रम को भी काउंसिलिंग में सम्मिलित करते हुए प्रवेश दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

AICTE Approval Process Handbook 2022-23 (Page No. 89-92) में दिये हुए Criteria का प्रवेश हेतु प्रवेश प्रकिया में तत्वतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा, इस दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष एवं लेट्रल एन्ट्री द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु Admission Criteria (Tiebreaking हेतु) पूर्व वर्षो की भांति निम्नवत प्रस्तावित है :–

प्रथम वर्ष (बी0टैक0) में प्रवेश हेतुः–

(i) सर्वप्रथम JEE-Main रैंकधारी को वरीयता दी जायेगी।

(ii) उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वी) में सम्बन्धित उच्च माध्यमिक परिषद् द्वारा निर्गत सम्पूर्ण विषयों का प्रतिशत अंक।

(iii) जन्मतिथि (12वीं में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

विनिश्चयः– प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम जेईई–मेन 2023–24 की परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर प्रवेश दिये जाने तदउपरान्त एजेण्डा अनुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए प्रवेश दिये जाने हेतु अनुमोदित।

जेईई रैंक के छात्रों को काउंसलिंग में जेईई रैंक के आधार पर सीट आवंटन प्रकिया में वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसके बाद जिन छात्रों ने जेईई रैंक आवेदन में नही भरी है, उनकों 12वी के मार्कस के आधार पर (ऐजेण्डा बिन्दु अनुसार) सीटें आवंटित की जायेंगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

काउंसलिंग का एलॉटमेन्ट प्रोसेस पूर्व वर्षो की भांति किये जाने का अनुमोदन दिया गया साथ ही यह भी अनुमोदन किया गया कि काउंसलिंग के माध्यम से किसी छात्र को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित होती है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नही लिया जाता है, तो उस दशा में यदि छात्र आगामी काउंसलिंग में प्रतिभाग करता है, तो उसे उस दशा में काउंसलिंग शुल्क रू0 2000/– पुनः देना होगा।

अनुमोदित।

प्रथम वर्ष (बी0एच0एम0सी0टी0/बी0फार्म0/बी0ए0एल0एल0बी0/बी0बी0ए0एल0बी0) में प्रवेश हेतुः–

(i) उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वी) में सम्बन्धित उच्च माध्यमिक परिषद् द्वारा निर्गत सम्पूर्ण विषयों का प्रतिशत अंक।

(ii) जन्मतिथि (12वीं में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

विनिश्चयः– 12वी के मार्कस के आधार पर (ऐजेण्डा बिन्दु अनुसार) सीटें आवंटित की जायेंगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

अनुमोदित।

प्रथम वर्ष (फार्म0डी0) में प्रवेश हेतुः–

उच्च माध्यमिक परीक्षा (12वी) में सम्बन्धित उच्च माध्यमिक परिषद् द्वारा निर्गत सम्पूर्ण विषयों का प्रतिशत अंक अथवा

(i) यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी उत्तीर्ण है तो डिप्लोमा प्राप्तांक प्रतिशत अंक अथवा

(ii) यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत है तो प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग प्रतिशत अंक।

(iii) जन्मतिथि (12वीं अथवा डिप्लोमा में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

विनिश्चयः– ऐजेण्डा बिन्दु में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सीटें आवंटित की जायेंगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

अनुमोदित।

प्रथम वर्ष एम0टैक0/एम0फार्म0/एम0सी0ए0/एम0बी0ए0/एम0एच0एम0 में प्रवेश हेतु निम्न अनुमोदितः–

(i) यदि स्नातक परीक्षा (एआईसीटीई मानको अनुसार) उत्तीर्ण है, स्नातक के प्रतिशत अंक। अथवा

(ii) यदि स्नातक परीक्षा (एआईसीटीई मानको अनुसार) के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं सप्तम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत के योग प्रतिशत अंक। अथवा

(iii) यदि स्नातक परीक्षा (लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशित बी0टेक0/बी0फार्म0 एआईसीटीई मानकों अनुसार) के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, ऐसे छात्रों का द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, सप्तम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग प्रतिशत अंक।

अथवा

यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय सेमेस्टर प्रणाली) में अंतिम सेमेस्टर में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक। अथवा

(iv) यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय वार्षिक प्रणाली) में अंतिम वर्ष में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक।

(v) जन्मतिथि (स्नातक परीक्षा में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

नोट– एम0टेक/एम0फार्मा0 पाठ्यक्रमों में क्रमशः GATE/GPAT के सफल अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

प्रथम वर्ष एल0एल0बी0 में प्रवेश हेतु निम्न अनुमोदितः–

(i) यदि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है, स्नातक के प्रतिशत अंक।

(ii) यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय सेमेस्टर प्रणाली) में अंतिम सेमेस्टर में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक। अथवा

(iii) यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय वार्षिक प्रणाली) में अंतिम वर्ष में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक।

(iv) जन्मतिथि (स्नातक परीक्षा में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।)

विनिश्चयः–ऐजेण्डा बिन्दु अनुसार सीटें आवंटित की जायेंगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

अनुमोदित।

द्वितीय वर्ष (बी0टैक0/बी0फार्म0) में प्रवेश हेतु निम्न अनुमोदितः–

(i) यदि डिप्लोमा उत्तीर्ण है, डिप्लोमा के प्रतिशत अंक। अथवा

(ii) यदि डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, ऐसे छात्र का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग प्रतिशत अंक।

(iii) जन्मतिथि (जिसकी आयु अधिक हो, उसे वरीयता दी जायेगी।)

विनिश्चयः– 1. द्वितीय वर्ष (Lateral Entry) बी0आर्क के लिए मान्य नही होगा (Council of Architecture अनुसार)।

2. डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के 5 सेमेस्टर तक के कमशः– प्रथम वर्ष प्राप्तांको के 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांको के 25 प्रतिशत तथा 5 सेमेस्टर के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत प्राप्तांकों अनुसार मेरिट तैयार की जायेगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

द्वितीय वर्ष (B.Tech. Lateral Entry, B.sc Degree Holder) में प्रवेश हेतु निम्न अनुमोदितः–

(i) यदि B.sc उत्तीर्ण है, B.sc के प्रतिशत अंक। अथवा

(ii) यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय सेमेस्टर प्रणाली) में अंतिम सेमेस्टर में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत एवं पंचम सेमेस्टर के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक। अथवा

(iii) यदि स्नातक परीक्षा (त्रिवर्षीय वार्षिक प्रणाली) में अंतिम वर्ष में अध्ययन्नरत है, ऐसे छात्रों का प्रथम वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष में प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत के योग का प्रतिशत अंक।

(iv) जन्मतिथि (जिसकी आयु अधिक हो, उसे वरीयता दी जायेगी।)

नोटः–बी0टैक0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु सर्वप्रथम वरियता डिप्लोमा छात्रों को दी जायेगी तद्उपरान्त शेष सीटों को B.sc के छात्रों से भरा जायेगा।

विनिश्चयः– बी0एस0सी0 के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के 5 सेमेस्टर तक के कमशः– प्रथम वर्ष प्राप्तांको के 25 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांको के 25 प्रतिशत तथा 5 सेमेस्टर के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत प्राप्तांकों अनुसार मेरिट तैयार की जायेगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें प्रथम चरण में आवेदन किया है तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रथम चरण में कोई संस्था/पाठ्यकम/ब्रांच आवंटित नही हुई है, उस दशा में वह छात्र बिना शुल्क के पुनः द्वितीय चरण में आवेदन कर सकते है।**

एजेण्डा बिन्दु–08

सीटों के निर्धारण पर चर्चा।

विगत वर्ष 2022–23 में उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्व राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों में ऑल इण्डिया कोटा 15 प्रतिशत एवं उत्तराखण्ड राज्य कोटा 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है तथा निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आल इण्डिया कोटा 35 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड राज्य कोटा 50 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा निर्धारित किया गया था। पूर्व सत्र की काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र की सीट मैट्रिक्स को तैयार करते समय मैनेजमेन्ट कोटे की 15 प्रतिशत सीटों को सम्मिलित नहीं किया जाता था सत्र 2023–24 में ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु ऑल इण्डिया कोटे, राज्य कोटे की सीटों एवं मैनेजमेन्ट कोटे की सीटों को भी सीट मैट्रिक्स में सम्मिलित करने पर चर्चा।

विनिश्चयः– विगत वर्ष की भांति व्यवस्था शासन से कोई इतर व्यवस्था होने तक अनुमोदित। चर्चा की गयी। सदस्यों द्वारा बताया गया कि मैनेजमेन्ट कोटे की कोई व्यवस्था निर्धारित नही है। इस आधार पर निजी संस्थानों के लिए 35 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा तथा 65 उत्तराखण्ड राज्य कोटा के आधार पर भरे जाने का अनुमोदन दिया गया। प्रवेश हेतु निर्धारित कोटे के अभ्यर्थी न मिलने पर विगत की भांति उन्हें सम्मिलित कर भरे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति द्वारा राज्य सरकार को पूर्व प्रेषित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु कुलसचिव से अनुरोध किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09

उत्तराखण्ड राज्य कोटे के अर्न्तगत अनुसूचित जाति (SC) , अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछ़डा वर्ग (OBC), शारिरिक रूप से विकलांग (PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF), पूर्व सैनिकों के आश्रितों (AF), महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) अथवा EWS का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः विगत वर्षों की भॉति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–10

प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु टी0एफ0डब्लू0 (TFW) केवल B.Tech. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों हेतु स्कीम का लाभ दिये जाने तथा बी0फार्मा संस्थानों द्वारा TFW श्रेणी में छात्रों को उक्त श्रेणी में प्रवेश नहीं दिया जाता है। अतः विगत वर्षों की भॉति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–11

ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के मूल निवासी नहीं है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई/मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं है किन्तु उन्होने पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (स्नातक अथवा 10+2 की परीक्षा) उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हें सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे–शारिरिक रूप से विकलांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) पूर्व सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–12

ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नहीं है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई मूल निवास प्रमाण–पत्र नहीं है, किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों उत्तराखण्ड राज्य कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गत महिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी/मूलनिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (OP) का चयन करें। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–13

आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) शारिरिक रूप से विकलांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है, किन्तु सक्षम स्तर से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–14

उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) शारारिक रूप से विकलांग (PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) पूर्व सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) अथवा EWS के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर से निर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–15

उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा यथा प्रभावी शासनादेशों के अनुसार प्रवेश के समय वैध होना चाहिए, किन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा कि वे क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नही आते हैं। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है, तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–16

राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेश संख्याः 348/XXXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्याः 647/XLI-1/12-26/10, दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पास उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु0 4.50 लाख से कम हो, ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र अथवा बी0पी0एल0 कार्ड होना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से किसी भी कॉलेज (निजी एवं सरकारी) द्वारा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) नही लिया जायेगा। अतः विगत वर्षों की भाँति सत्र 2023–24 में भी उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– प्रस्ताव अनुमोदित। साथ ही राज्य सरकार से निर्दिष्ट व्यवस्था को यथा प्रभावी लागू किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–17

ड़िप्लोमा/डिग्री में बैक होने पर संस्थानों में लेटरल एंट्री में प्रवेश दिये जाने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु ऐसे छात्र–छात्रायें जिनका अंतिम सेमेस्टर/वर्ष का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रवेश तिथि तक घोषित नहीं किया गया है ऐसे छात्रों को प्रवेश के समय शपथ पत्र (Undertaking) के माध्यम से Provisional Admission इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र–छात्रा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाईन नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण अंकतालिका उपलब्ध करायेगा यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तो स्वतः ही उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। उक्त प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि प्रवेश के समय जिन विश्वविद्यालय/बोर्ड का परीक्षा परीणाम घोषित नही होता है, तो ऐसे विश्वविद्यालय व बोर्ड से सम्बन्धित अभ्यर्थी से प्रवेश के समय शपथ पत्र (Undertaking) के माध्यम से Provisional Admission इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र–छात्रा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाईन नामांकन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण अंकतालिका उपलब्ध करायेगा यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तो स्वतः ही उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु–18

कश्मीरी माइग्रेंट छात्रों को विगत वर्षों की भॉति सत्र 2023–24 में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– यथा प्रभावी व्यवस्था अनुमोदित।

एजेण्डा बिन्दु–19

यदि किसी छात्र को जेईई के आधार पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/संस्था द्वारा अन्य संस्थान में प्रवेश मिलता है एवं वह छात्र इस आधार पर अन्य संस्थान में जाना चाहता है, तो छात्र द्वारा जमा किया हुआ शिक्षण शुल्क संस्थान द्वारा पूर्णतः वापस दिया जायेगा। इस आशय का एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय के सम्बंद्ध/संघटक संस्थानों से प्राप्त किये जाने पर चर्चा/विचार–विमर्श।

विनिश्चयः– चर्चा की गयी। छात्र द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/बी0सी0आई0/यू0जी0सी0 आदि नियामक संस्थाओं द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार वापस किये जाने का अनुमोदन दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–20

दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 13वीं (आकस्मिक) बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सत्र 2023–24 द्वितीय वर्ष में विभिन्न पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। सीटें रिक्त रहने की दशा में ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है, अन्य की स्थिति में दिये गये प्रवेश अमान्य होंगे एवं इसके लिये संस्थान जिम्मेदार होगा। विगत वर्ष की भॉति सत्र 2023–24 में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः– निर्णय लिया गया कि प्रथमतः उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी/उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को वरियता देते हुए प्रवेश दिया जायेगा। सीटें रिक्त रहने की दशा में ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिये जाने का अनुमोदन दिया गया।

एजेण्डा बिन्दु–21

पी0एच0डी0, पी0जी0 डिप्लोमा एवं अन्य पाठयक्रमों में प्रवेश पर चर्चा।

वर्ष 2022–23 में शीतकालीन में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा पी0एच0डी0 प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें परीक्षा विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 08 जनवरी 2023 को किया गया। अतः विगत वर्ष की भॉति आगामी वर्ष 2023–24 में भी पी0एच0डी0 प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन परीक्षा विभाग द्वारा किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चयः– चर्चा हुई। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6.b के अनुपालन के कम में कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर को पी0एच्0डी0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित करने सम्बन्धित विषय पर डॉ0 अलकनन्दा अशोक, डीन, कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी, पंतनगर द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन लेने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय को सूचित किये जाने का आश्वासन दिया गया है। तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

एजेंण्डा बिन्दु अनुसार अनुमोदित।

एजेण्डा बिन्दु–22 अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष/कुलपति महोदय की अनुमति से।

एजेण्डा बिन्दु–22.1 वात्सल्य योजना के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाने पर चर्चा।

विनिश्चयः– राज्य सरकार द्वारा प्रभावी की गयी वात्सल्य योजना के अन्तर्गत प्रवेश दिये जाने हेतु कार्यवाही करने पर प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(प्रो0 सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति